

51

11/19

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

612

19

9-1-09

प्रमाण-पत्र संख्या

Sudama Mahato

19

संख्या सं-

यदि यह प्रमाण-पत्र दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित संपत्तियों और अवभारों का संचालन प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये फॉर्म के अनुसार लिखा जाये।)

प्रमाण-पत्र में संदर्भित संपत्ति का नाम निम्नलिखित संपत्तियों और अवभारों के जो भी यहाँ में और इसी प्रमाण-पत्र में संदर्भित हैं।
1-1-05 10/10/05 19/10/05 19/10/05 19/10/05 19/10/05 19/10/05 19/10/05 19/10/05 19/10/05

यदि यह संपत्ति का नाम निम्नलिखित संपत्तियों और अवभारों का संचालन प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये फॉर्म के अनुसार लिखा जाये।)

क्र. सं.	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रकृति के प्र. नं. दिनांक		
				निष्पादक	दावेदार	मिलद	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Manza — Sikandar pur (Mithila Colony South CHAWARMA)

P.S. — Danapur.

P.S. NO — 17.

Total Area — 02 Bigha, 02 Dhur, 10 Dhurki.

Taxi No — 5814, 5855.

KHata No — 187, 207.

Plot No — 514, 516.

Boundaries —

North — Survey Branch Road.

South — AMBUJA FLAWER MILLS.

East — Umesh Singh, Suresh Singh, Jagna Rayan Singh & others.

West — Krishna Singh & Dhooor K. Li Ram others.

प्रमाण-पत्र के अनुसार विवरण दर्शाया जाये।
 प्रमाण-पत्र को जिस व्यक्ति को पत्र और भुगतान की आवश्यकता है, वह उसे भेज दे।
 प्रमाण-पत्र को भेजने वाले व्यक्ति और प्राप्तकर्ता के बीच प्रमाण-पत्र दर्शाया जाये।
 प्रमाण-पत्र प्रमाणित करता है कि उपरोक्त संव्यवस्था और अभिप्रायों को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवस्था और अभिप्रायों को प्रमाणित करता है।

(हस्ताक्षर):
 (पदनाम):
 (हस्ताक्षर):
 (पदनाम):
 कार्यालय:

निम्न व्यक्ति ने तहसील की प्रमाण-पत्र तैयार किया।
 11-1-19



तारीख: 11-1-19

11-1-19

प्रमाण-पत्र द्वारा प्रमाण-पत्र में जो संव्यवस्था और अभिप्राय दर्शाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति प्रमाणित विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं प्रमाणित दस्तावेजों को दिशाया गया हो तो वेही दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवस्था (प्रमाणितकरण) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
 2. निबंधन अधिनियम की धारा-45 के अधीन जो व्यक्ति (आह्वान) और अनुक्रमिकियों (इन्वेन्स) को प्रमाणित करना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिनिधि लेना चाहते हैं किन्हीं निश्चित प्रमाणित दस्तावेजों के प्रमाण-पत्रों को जमात हो उनके तहसील स्वयं करनी होगी। निश्चित प्रमाणित दस्तावेजों पर प्रमाणित और अनुक्रमिकियों उनके पास सामने रखदी जायेंगी।
 (क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तहसील नहीं की है, इसलिए कार्यालय आपेक्षित तहसील प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने आपेक्षित तहसील स्वयं की है, और चूंकि इसके बाद दिये गये संव्यवस्था और अभिप्रायों को प्रमाणित करने के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दिये गये संव्यवस्था और अभिप्रायों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उस प्रमाणित पर प्रमाणित होगा।

आवेदक का नाम: सुदामा माहो
 आवेदक की पता: 52, 14779
 आवेदक का नाम: सुदामा माहो
 आवेदक की पता: 52, 14779
 आवेदक का नाम: सुदामा माहो
 आवेदक की पता: 52, 14779
 आवेदक का नाम: सुदामा माहो
 आवेदक की पता: 52, 14779

State Bank of India (Patna)

निबंधन पदाधिकारी,

22